न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 172/2023
दायर दिनांक :— 08.11.2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/70
निर्णय दिनांक :— 18.09.2025

1. रमजान खां अब्दुल खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. मीर मोहम्मद पुत्र नेतार खां जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः— 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया कि ग्राम रोला पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 100 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 306 रकबा 4.1359 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुस्लिम समुदाय से है इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 पर मुस्लिम विधि लागू होती है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि ग्राम रोला पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 100 रकबा 2.8733 हैक्टेसी तथ्रर चरीर लम्बी 306 रकबा 4.1359 हैक्टेयर भूमि का एक मौखिक हिब्बा (बख्सीश, दान) सन् 1983 (हिजरी सन् 1405) की ईद पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की पत्नी हनीफा खातु व वादी के भाई अहमद पुत्र अब्दुल खां के रूबरू किया था और उसी दिन मौके पर चल कर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को हिबा की गई भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था जिस पर उस दिन से लेकर आज दिन तक वादी का कब्जा व काश्त लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है तथा वादी ने हिब्बा (बख्सीश, दान) से प्राप्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के बाड़ा इत्यादि बना रखे है तथा वादी अपने परिवार सहित बार ही मास निवास करता आ रहा है तथा वादी ने उक्त भूमि के चारों तरफ खूंटे रोप कर तारबंदी कर रखी है तथा उक्त भूमि नलकूप से सिंचित है जिसमें वादी काश्त कर पैदावार का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 पर मुस्लिम विधि लागू होती है तथा मुस्लिम विधि में मौखिक हिब्बा (बख्सींश, दान) का मान्यता प्रदान है। इसलिये वादी ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 100 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 306 रकबा 4.1359 हैक्टेयर भूमि को माफिक हिबा (बख्सीश, दान) अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

18/9/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बाप ने अपना जबाव पेश कर बताया कि ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 2.8733 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 306 रकबा 4.1359 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मीरमोहम्मद पुत्र नेतार खां के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों मुस्लिम जाति के है जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है। वादग्रस्त भूमि खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर देकर मुस्लिम विधि अनुसार वाद का निर्णय किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई उजर एंव एतराज नहीं है। वाद में प्रतिवादी की और से विरोध नही होने से तनकियात कायम करने की आवश्यकता नही है। वादी रमजान खांन ने गवाह का शपथ पत्र पेश किया एवं इनके बयान पी.डब्लू–1, आमदखां पुत्र अब्दुल खां ने गवाह का शपथ पेश किया एवं इनके बयान पी.डब्लू–2 कलमबद्व किये गये, हनीफो पत्नी रमजान खां ने अपने गवाह का शपथ पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम रोला पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 100 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 306 रकबा 4.1359 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुस्लिम समुदाय से है इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 पर मुस्लिम विधि लागू होती है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि ग्राम रोला पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 100 रकबा 2.8733 हैक्टेसी तथ्थर चरीर लम्बी 306 रकबा 4.1359 हैक्टेयर भूमि का एक मौखिक हिब्बा (बख्सीश, दान) सन् 1983 (हिजरी सन् 1405) की ईद पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की पत्नी हनीफा खातु व वादी के भाई अहमद पुत्र अब्दुल खां के रूबरू किया था और उसी दिन मौके पर चल कर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को हिबा की गई भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था जिस पर उस दिन से लेकर आज दिन तक वादी का कब्जा व काश्त लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है तथा वादी ने हिब्बा (बख्सीश, दान) से प्राप्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के बाड़ा इत्यादि बना रखे है तथा वादी अपने परिवार सहित बार ही मास निवास करता आ रहा है तथा वादी ने उक्त भूमि के चारों तरफ खूंटे रोप कर तारबंदी कर रखी है तथा उक्त भूमि नलकूप से सिंचित है जिसमें वादी काश्त कर पैदावार का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 पर मुस्लिम विधि लागू होती है तथा मुस्लिम विधि में मौखिक हिब्बा (बख्सीश, दान) का मान्यता प्रदान है। इसलिये वादी ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 100 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 306 रकबा 4.1359 हैक्टेयर भूमि को माफिक हिबा (बख्सीश, दान) अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का आदेश फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 100 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 306 रकबा 4.1359 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम

13/3/15
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

से दर्ज है। वादी ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की प्रतिवादी संख्या 1 ने वादगस्त भूमि को मौखिक हिब्बा (बख्सीश, दान) किया गया है। तहसीलदार बाप ने भी अपने जवाब में वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने का उल्लेख नहीं किया है। वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं से खारिज किया जाता है पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/25

(सुखराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. रमजान खां अब्दुल खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

01. मीर मोहम्मद पुत्र नेतार खां जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

02. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 172/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं से खारिज किया जाता है नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.09.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल,R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।